न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	मु. नं. 20/2021 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान - रमेशचन्द बनाम घमण्डी वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-6-22	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मिथलेश मीना उप जिला कलक्टर रामगढ़ पचवारा का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मिथलेश मीना उप जिला कलक्टर रामगढ़ पचवारा का स्थानांतरण हो जाने से प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाया जाना उचित नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण घमण्डी आदि बनाम रामजीलाल आदि मु. नं. 132/2021 192/20 दावा उद्घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थी रमेशचन्द पुत्र बोदी जाति मीना निवासी टोलावास तहसील राहूवास जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 21-6-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर. के. मीना) अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official